



प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय

ओडिशा, भुवनेश्वर

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I),  
ODISHA, BHUBANESWAR

परिपत्र संख्या- 06

दिनांक-16.04.2026

परिपत्र / Circular

**विषय: वर्ष 2025-26 के लिए "राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना" के अंतर्गत प्रविष्टियाँ आमंत्रित करने के संबंध में।**

**Subject: Inviting entries under "Rajbhasha Gaurav Puraskar Scheme" for the year 2025-26.**

कृपया उपर्युक्त विषय पर मुख्यालय के पत्र संख्या: 203/रा.भा.अ./14-2020 दिनांक 01.04.2026 का संदर्भ लें। इस संबंध में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 11034/01/2023-रा.भा.(नीति), दिनांक 09 मार्च, 2026 द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु "राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना" के अंतर्गत हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन तथा हिंदी में अनूदित पुस्तकों के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गई हैं।

Please refer to Headquarters' Letter No. 203/Ra.Bha.A./14-2020, dated 01.04.2026, regarding the above-mentioned subject. In this regard, as per Resolution No. 11034/01/2023-OL (Policy), dated 09 March 2026 issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, entries are invited under the "Rajbhasha Gaurav Puraskar Scheme" for the year 2025-26 for original books written in Hindi and books translated into Hindi.

इस योजना के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर हिंदी में उत्कृष्ट मौलिक एवं अनूदित पुस्तकों को निर्धारित श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाएगा। योजना की पात्रता, पुरस्कार राशि, आवेदन की शर्तें एवं आवेदन-प्रपत्र आदि का विस्तृत विवरण संलग्न है।

Under this scheme, outstanding original and translated books in Hindi on various subjects will be awarded in prescribed categories. Detailed information regarding eligibility, award amount, conditions and application proforma is enclosed.

अतः कार्यालय के सभी इच्छुक एवं पात्र अधिकारीगण/कर्मचारीगण से अनुरोध है कि वे निर्धारित प्रपत्र में अपनी प्रविष्टि आवश्यक दस्तावेजों सहित राजभाषा अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रविष्टियाँ समयानुसार अद्योषित की जा सकें।

All the willing/eligible officers/officials of this office are requested to submit their entries in the prescribed proforma along with required documents to the Rajbhasha Section if they fulfill the eligibility criteria, so that the same may be forwarded in due course of time.

**संलग्न/Encl.:**

1. राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना (वर्ष 2025-26) की प्रति / Copy of the Scheme
2. आवेदन-प्रपत्र (प्रोफार्मा) / Application Proforma

हस्ता./-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ राजभाषा अनुभाग  
Sr. Audit Officer/ Rajbhasha Section

जापन संख्या/ Memo No.

राजभाषा अनुभाग/77/रा.गौ.पुर.यो./2026/12

दिनांक/ Date: 16.04.2026

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित

Copy forwarded for information and necessary action.

- 1- सचिव, महालेखाकार ( लेखापरीक्षा-I) ओडिशा, भुवनेश्वर/  
The Secretary to AG (Audit-I), Odisha Bhubaneswar
- 2- निजी सहायक, वरिष्ठ उप महालेखाकार, प्रशासन/ ए.एम.जी. V  
PA to Sr. DAG, Admn, / AMG V
- 3- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. I/ PA to DAG, AMG I
- 4- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. II/ PA to DAG, AMG II
- 5- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. III/ PA to DAG, AMG III
- 6- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. IV/ PA to DAG, AMG IV
- 7- नियंत्रणाधिकारी / शाखा अधिकारी/ Branch Officer -

सभी शाखाधिकारियों से अनुरोध है कि परिपत्र में निहित अंतर्वस्तु को अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लायें।

All the Branch Officers are requested to kindly bring the content of this circular to the notice of all the Officers/ employees working under their control.

ए.एम.जी.-I / AMG-I	ए.एम.जी.- II / AMG-II	ए.एम.जी.-III / AMG-III	ए.एम.जी.-IV / AMG-IV	ए.एम.जी.- V AMG-V	ओ.एम. I OM-I
सम्पदा/ Estate	ओ.ई. O.E.	प्र0 एवं परीक्षा/ Training & Exam	प्रशासन / Admin.	विधिक/ Legal	रिपोर्ट (मेन)/ Report (Main)
रिपोर्ट पी.ए.सी. Report PAC	रिपोर्ट- ई.सी.पी.ए. Report ECPA	सचिवालय/ Secretariat	कल्याण / Welfare	डी.ए. एवं आर.सी/ DA&RC	ओ.एम. II OM-II
आई.टी.ए/ ITA	रिपोर्ट (एल.बी) Report - LB	टी एस सी/ TSC		गोपनीय प्रकोष्ठ/ Confidential Cell	

- 8- सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, डी.ए. एवं आर.सी से अनुरोध है कि कृपया इस परिपत्र को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

The Assistant Audit Officer i/c DA&RC is requested to kindly upload this circular to the office's website.

- 9- प्रशासन अनुभाग, परिपत्र/ ओओसी गार्ड फाइल/ Admn Section, Circular/ OOC Guard File.
- 10- राजभाषा अनुभाग, परिपत्र/ ओओसी गार्ड फाइल/ Rajbhasha Section, Circular/ OOC Guard File.
- 11- सूचना पट्ट /Notice Board

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ राजभाषा अनुभाग  
Sr. Audit Officer/ Rajbhasha Section

16/4/26

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय  
10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग,  
नई दिल्ली-110 124



OFFICE OF THE COMPTROLLER &  
AUDITOR GENERAL OF INDIA  
10, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG,  
NEW DELHI - 110 124

दिनांक / DATE 01.04.2026

राजभाषा अनुभाग (लेखापरीक्षण) / Rajbhasha Section (Audit)  
सी.ए.जी. या जे. / CAG Dy. No. 02  
दिनांक 6/04/2026

सेवा में,

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के  
सभी विभागाध्यक्ष

विषय:- वर्ष 2025-26 के लिए हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन एवं हिन्दी में अनूदित पुस्तक के लिए  
राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना।

महोदया/ महोदय,

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या: 12011/01/2023 राजभाषा (नीति)  
दिनांक 25.03.2026 के माध्यम से राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन एवं हिन्दी में अनूदित  
पुस्तक को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार योजनाएँ लागू की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत 01.01.2025 से  
31.12.2025 के दौरान प्रकाशित हिन्दी की मौलिक पुस्तकें आमंत्रित की गई हैं। पुरस्कार योजना से संबंधित  
विस्तृत जानकारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट <http://rajbhasha.gov.in> पर उपलब्ध है।

- संदर्भित पत्र की प्रतिलिपि मय संलग्नक सुलभ संदर्भ एवं यथोचित कारवाई हेतु अग्रेषित की जा रही है।
- यह पत्र महानिदेशक (राजभाषा) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,

01.04.2026

(अर्घ्य चक्रवर्ती)  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय  
10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग,  
नई दिल्ली-110 124



OFFICE OF THE COMPTROLLER &  
AUDITOR GENERAL OF INDIA  
10, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG,  
NEW DELHI - 110 124

दिनांक / DATE 01.04.2026

सेवा में,

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के  
सभी विभागाध्यक्ष

विषय:- वर्ष 2025-26 के लिए हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन एवं हिन्दी में अनूदित पुस्तक के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना।


महोदया/ महोदय,

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या: 12011/01/2023 राजभाषा (नीति) दिनांक 25.03.2026 के माध्यम से राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन एवं हिन्दी में अनूदित पुस्तक को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार योजनाएँ लागू की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत 01.01.2025 से 31.12.2025 के दौरान प्रकाशित हिन्दी की मौलिक पुस्तकें आमंत्रित की गई हैं। पुरस्कार योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट <http://rajbhasha.gov.in> पर उपलब्ध है।

2. संदर्भित पत्र की प्रतिलिपि मय संलग्नक सुलभ संदर्भ एवं यथोचित कारवाई हेतु अग्रेषित की जा रही है।
3. यह पत्र महानिदेशक (राजभाषा) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

  
01.04.2026

(अर्घ्य चक्रवर्ती)  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा)

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
राजभाषा विभाग

\*\*\*\*\*

1/22

297/k

दिनांक: 09 मार्च, 2026

संकल्प

25 MAR 2026

सं. 11034/01/2023-राजभाषा(नीति): राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या 11034/01/2023-राजभाषा(नीति) दिनांक 22.06.2023 का अधिक्रमण करते हुए वर्ष 2025-26 से हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन एवं हिंदी में अनूदित पुस्तक हेतु संशोधित "राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना" लागू की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अब भारत के नागरिकों को निम्नलिखित श्रेणियों और विषयों पर पुरस्कार दिए जाएंगे:-

- (क) इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण, पर्यावरण विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
- (ख) विधि और पुलिस अनुसंधान, न्यायालयिक विज्ञान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
- (ग) संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
- (घ) 'ग' क्षेत्र के लेखक द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार (उपर्युक्त सभी श्रेणियों के विषयों पर)।
- (ङ) हिंदी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार - कालजयी साहित्य (क्लासिक्स) तथा संस्कृति, कला, धरोहर संबंधी विषयों से संबंधित अनूदित पुस्तकों के लिए।

2. नाम: इस योजना का नाम 'राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना' है।

3. परिभाषाएँ: इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (i) "योजना" का अभिप्राय है:- उपर्युक्त (क) से (ग) तक की श्रेणियों में उल्लिखित विषयों पर मौलिक रूप से हिंदी में लिखित पुस्तक। साथ ही संस्कृति, कला, धरोहर जैसे विषयों पर राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत पुस्तकों, क्लासिक कृतियों एवं प्रसिद्ध लेखकों, विद्वानों व हस्तियों की कृतियों की हिंदी में अनूदित पुस्तकों संबंधी "राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना"।
- (ii) "मौलिक" से अभिप्राय है:- मूल रूप से हिंदी में लिखी गई व प्रथम बार प्रकाशित पुस्तक।
- (iii) "अनूदित" से अभिप्राय है - भारतीय भाषाओं एवं अंग्रेजी से हिंदी में अनूदित पुस्तक या अनूदित क्लासिक साहित्य की पुस्तक।
- (iv) "पुस्तक" से अभिप्राय है:- प्रकाशित पुस्तक।
- (v) "वर्ष" से अभिप्राय है:- (क) योजना वर्ष - वित्तीय वर्ष (ख) प्रकाशन वर्ष - कैलेंडर वर्ष।
- (vi) 'ग' क्षेत्र के लेखक से अभिप्राय है:-  
(क) लेखक की मातृभाषा हिंदी न हो।  
(ख) लेखक ने अपनी स्कूली शिक्षा सम्बंधित 'ग' क्षेत्र के राज्य से पूर्ण की हो। ('ग' क्षेत्र - पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, जम्मू व कश्मीर, ओडिशा, लक्षद्वीप, पांडिचेरी व पश्चिम बंगाल)
- (vii) अनुवाद के विषय से अभिप्राय है :-  
(क) संस्कृति, कला, धरोहर जैसे विषयों पर राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत पुस्तकों क्लासिक साहित्य एवं प्रसिद्ध लेखकों, विद्वानों व हस्तियों की कृतियों का हिंदी अनुवाद।

श्री मोहन  
25/3/2026

513/25.01.26  
1/4/26

2368218

1

(ख) इस श्रेणी में विभागीय मैनुअल, पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक जीवनी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तान्त, संस्मरण आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तकों की अनूदित कृति पात्र नहीं होगी।

#### 4. उद्देश्य:

(क) केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में सरकारी कामकाज में तकनीकी विषयों पर भी कार्य किया जाता है। तकनीकी, विज्ञान, न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस, अपराधशास्त्र अनुसंधान, पुलिस प्रशासन, संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर इत्यादि संबंधी विषयों एवं विधि के क्षेत्र में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में कठिनाई आ रही है क्योंकि इन विषयों पर पुस्तकों की कमी है। साथ ही, इन विषयों की हिंदी शब्दावली से कम परिचित अथवा परिचित नहीं होने के कारण सरकारी कामकाज को हिंदी में करने में कार्मिकों को कठिनाई आती है।

(ख) 'ग' क्षेत्र के लेखकों को हिंदी में मूल लेखन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक नई श्रेणी शामिल की जा रही है।

(ग) इसके अलावा अनुवाद अंग्रेजी तथा अनुसूचित भारतीय भाषाओं के ज्ञान व साहित्य को हिंदी भाषी समुदाय तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण साधन है। विगत वर्षों में कई अच्छी अनूदित पुस्तकें भी प्राप्त होती रही हैं जिन्हें इस श्रेणी का पुरस्कार न होने की स्थिति में शामिल नहीं किया जा सका। माननीय गृह मंत्री जी की संकल्पना भारतीय भाषाओं और हिंदी में समन्वय बढ़ाने की रही है। अतः इन पुरस्कारों के अंतर्गत अंग्रेजी व अन्य भारतीय भाषाओं से हिंदी में अनूदित पुस्तकों की एक नई श्रेणी को शामिल किया जा रहा है। इस प्रकार उक्त विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन एवं उत्कृष्ट अनूदित कृतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग ने यह योजना आरंभ की है।

(घ) केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी से संबंधित अलग-अलग पुरस्कार योजना के लिए केवल राजभाषा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। भविष्य में किसी मंत्रालय/विभाग द्वारा हिंदी संबंधी अन्य पुरस्कार योजना शुरू करने से पूर्व राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से परामर्श करना अनिवार्य होगा, ताकि पुरस्कार योजना की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

#### 5. पुरस्कार विवरण:

	पुरस्कार योजना का नाम	कुल पुरस्कारों की संख्या	देय राशि, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
क	इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹2,00,000/- (दो लाख रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		तृतीय पुरस्कार (एक)	₹75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (तीन)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

ख	वाध और पुलिस अनुसंधान, न्यायालयिक विज्ञान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
ग	संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
घ	'ग' भाषा क्षेत्र के लेखक द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार (उपर्युक्त सभी श्रेणियों के विषयों पर)।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
ङ	हिंदी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार - कालजयी साहित्य (क्लासिक्स) तथा संस्कृति, कला, धरोहर संबंधी विषयों से संबंधित अनूदित पुस्तकों के लिए।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

#### 6. पात्रता:

- लेखक/सह-लेखक अथवा अनुवादक/सह-अनुवादक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- पुस्तक उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित विषय पर लिखी अथवा अनूदित होनी चाहिए।

#### 7. सभी श्रेणियों के लिए सामान्य शर्तें:

- पुस्तक के एक से अधिक लेखक/अनुवादक होने की स्थिति में प्रत्येक सह-लेखक/सह-अनुवादक द्वारा अलग-अलग प्रपत्र (प्रोफॉर्मा) भरा जाए।
- योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए केवल वही पुस्तकें स्वीकार्य हैं जो लेखक/अनुवादक की मौलिक कृति/अनुवाद हो।
- किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी। उपरि-विषयक योजना के अंतर्गत पुरस्कार की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया हो तो इसकी सूचना लेखक/अनुवादक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए।
- योजना के अंतर्गत 1 जनवरी से 31 दिसंबर के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं।

- (4)
- (v) पुस्तक की विषय-वस्तु समीक्षात्मक एवं विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए। पीएचडी के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक अथवा पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी पुस्तक इस पुरस्कार योजना हेतु पात्र नहीं होगी।
- (vi) 'ग' क्षेत्र के लेखक से संबंधित शर्तें :-  
 (क) लेखक की मातृभाषा हिंदी न हो।  
 (ख) लेखक ने अपनी स्कूली शिक्षा सम्बंधित 'ग' क्षेत्र के राज्य से पूर्ण की हो (प्रमाण के रूप में 10 वीं व 12 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र की प्रति अपेक्षित है)। ('ग' क्षेत्र - पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य तथा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, जम्मू व कश्मीर, ओडिशा, लक्षद्वीप, पांडिचेरी व पश्चिम बंगाल)
- (vii) अनुवाद की श्रेणी से संबंधित शर्तें :-  
 (क) इसके अंतर्गत संस्कृति, कला, धरोहर जैसे विषयों पर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत पुस्तकों, क्लासिक कृतियों एवं प्रसिद्ध लेखकों, विद्वानों व हस्तियों की कृतियों का हिंदी अनुवाद शामिल है।  
 (ख) इस श्रेणी में विभागीय मैनुअल, पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक जीवनी, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, यात्रा वृत्तान्त, संस्मरण आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तकों की अनूदित कृति पात्र नहीं होगी।  
 (ग) इस श्रेणी के तहत लेखक को अनूदित पुस्तक के साथ-साथ उसकी मूल भाषा की पुस्तक की चार-चार प्रतियाँ प्रेषित करना अनिवार्य होगा।  
 (घ) प्रारम्भ में विगत दो वर्ष की प्रकाशित/अनूदित पुस्तकें प्रविष्टि हेतु आमंत्रित की जाएंगी। तत्पश्चात् वर्ष 2027 से एक वर्ष पहले अर्थात् संबंधित कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर के दौरान अनूदित व प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य होंगी।
- (viii) लेखक/सह-लेखक अथवा अनुवादक/सह-अनुवादक पुस्तक में दिए गए आँकड़ों, तथ्यों आदि के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं उनके प्रमाण में जहाँ तक संभव हो, संदर्भ देंगे।
- (ix) यदि किसी व्यक्ति को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की किसी भी योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी। तथापि, सह-लेखक (यदि कोई हो) योजना में भाग ले सकता है। सह-लेखक को पुरस्कार में आनुपातिक राशि ही प्रदान की जाएगी।
- (x) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठ की हो।
- (xi) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्राप्त प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।
- (xii) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बाँट दी जाएगी।
- (xiii) पुरस्कार योजना के अंतर्गत केवल आईएसबीएन (ISBN) वाली पुस्तकों को ही शामिल किया जाएगा।

#### 8. प्रविष्टि भेजने की विधि:

- (i) प्रविष्टि अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र के साथ भेजी जाए अन्यथा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।  
 (ii) प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की चार प्रतियाँ भेजी जाएं। प्रतियाँ वापस नहीं की जाएंगी।  
 (iii) विधिवत भरा हुआ प्रविष्टि प्रपत्र विभाग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक पहुँच जानी चाहिए।  
 (iv) एक लेखक/अनुवादक केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है।

#### 9. पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया:

पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर राजभाषा विभाग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। समिति की अध्यक्षता संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा की जाएगी। समिति में आवश्यकतानुसार सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त गैर-सरकारी, प्रतिष्ठित विद्वान/विशेषज्ञ भी शामिल किए जा सकते हैं। समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:-

(i)	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	अध्यक्ष
(ii)	दो गैर सरकारी व्यक्ति, जो राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष नामित किए जाएंगे	सदस्य
(iii)	निदेशक/उप-निदेशक (कार्यान्वयन) अथवा विभाग द्वारा नाम-निर्देशित विभाग में कार्यरत समकक्ष अधिकारी	सदस्य-सचिव

- 15  
29/12
- (i) प्रविष्टि भेजने वाले लेखक/अनुवादक के निकट संबंधी मूल्यांकन समिति में शामिल नहीं किए जाएंगे।
  - (ii) प्रविष्टियों के मूल्यांकन हेतु विषय से संबंधित मंत्रालय/विभाग के एक पदाधिकारी को मूल्यांकन समिति में जगह दी जा सकती है।
  - (iii) मूल्यांकन समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी पुस्तक के बारे में निर्णय लेने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर ले।
  - (iv) मूल्यांकन के मानदंड मूल्यांकन समिति स्वयं निर्धारित करेगी।
  - (v) पुरस्कार प्रदान करने के बारे में सर्वसम्मति न होने की स्थिति में निर्णय बहुमत द्वारा किया जाएगा। यदि किसी निर्णय के बारे में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हों तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
  - (vi) मूल्यांकन समिति में शामिल सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता उसी स्रोत से मिलेगा, जिस स्रोत से उन्हें वेतन मिलता है। समिति के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए और संबंधित अवधि में लागू अनुदेशों के अधीन यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के अधिकारी होंगे।
  - (vii) मूल्यांकन समिति के बाहरी विशेषज्ञ राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय के भी पात्र होंगे।
  - (viii) मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय राजभाषा विभाग द्वारा लिया जाएगा।

#### 10. पुरस्कार विजेताओं और पुरस्कार वितरण के बारे में घोषणा:

- (i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र/ईमेल द्वारा भेजी जाएगी तथा उसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
- (ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा।

#### 11. सामान्य सूचना:

- (i) पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक/अनुवादक/प्रकाशक का कॉपीराइट बना रहेगा।
- (ii) पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित अथवा वायुयान (इकोनोमी श्रेणी) का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा। ठहरने की व्यवस्था उन्हें स्वयं के खर्चे पर करनी होगी।
- (iii) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में किसी प्रकार का कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।

#### 12. योजना को शिथिल करने का अधिकार:


जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इस संकल्प के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

\*\*\*\*\*

## आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिव, राज्य सभा सचिवालय, सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।



(डॉ. निधि पाण्डेय)  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक

भारत सरकार, मुद्रणालय


मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002

संख्या: 11034/01/2023-राजभाषा(नीति)

नई दिल्ली, दिनांक 09 मार्च, 2026

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्यान्वयन-2), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को संकल्प के माध्यम से संशोधित की गई योजना के अनुसार नई योजना जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
5. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
6. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
7. नीति आयोग, नई दिल्ली
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
9. लेखा निदेशक (केंद्रीय राजस्व), नई दिल्ली
10. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
11. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
12. संसद का पुस्तकालय (15 प्रतियाँ)
13. निदेशक, जन संपर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें
14. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग
15. सचिव (राजभाषा) के प्रधान स्टाफ अधिकारी
16. अतिरिक्त प्रति राजभाषा विभाग (नीति अनुभाग) के लिए
17. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, राजभाषा विभाग: इस संकल्प को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



(डॉ. निधि पाण्डेय)  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

## प्रपत्र

कृपया संबंधित पुरस्कार योजना, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, को चिह्नित करें।

(क)	इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण, पर्यावरण विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।	
(ख)	विधि और पुलिस अनुसंधान, न्यायालयिक विज्ञान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।	
(ग)	संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।	
(घ)	'ग' क्षेत्र के लेखक द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार (उपर्युक्त सभी श्रेणियों के विषयों पर)।	
(ङ)	हिंदी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार - कालजयी साहित्य (क्लासिक्स) तथा संस्कृति, कला, धरोहर संबंधी विषयों से संबंधित अनूदित पुस्तकों के लिए।	

1. पुरस्कार योजना का वर्ष

.....

2. पुस्तक का नाम

.....

3. (i) लेखक/सह-लेखक/अनुवादक/सह-अनुवादक का नाम :

.....

(ii) पूरा पता (पिन कोड सहित):

.....

(iii) दूरभाष: .....

(iv) मोबाइल संख्या ..... ईमेल

.....

4. (i) प्रकाशक का नाम.....

(ii) प्रकाशक का पूरा पता.

.....

(iii) प्रकाशन का वर्ष.....

5. क्या मौलिक पुस्तक/अनूदित पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है?

हाँ/नहीं

यदि हाँ, तो कृपया पूरा ब्यौरा

दें.....

.....

.....

.....

6. लेखक की मातृभाषा ('ग' क्षेत्र के लेखकों के लिए) .....

7. क्या 10वीं व 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की गई है ? हाँ/नहीं  
.....('ग' क्षेत्र के लेखकों के लिए)

8. मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि-

(i) मैं .....पुत्र/पुत्री श्री  
..... भारतीय नागरिक हूँ।

(ii) मैंने पुस्तक मूल रूप से हिंदी में लिखी/अनूदित की है।

(iii) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है। पुस्तक में दिए गए आँकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ।

9. मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि मैं उपर्युक्त मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी।

स्थान.....

दिनांक .....

लेखक/सह लेखक/अनुवादक/सह-अनुवादक के हस्ताक्षर

नोट 1. जो लागू न हो, उसे काट दें।

नोट 2. पुस्तक के एक से अधिक लेखक/ अनुवादक होने की स्थिति में प्रत्येक सह-लेखक/सह-अनुवादक द्वारा उपर्युक्त प्रपत्र अलग-अलग भरा जाए।

\*\*\*\*\*

Date: 09 March, 2026

RESOLUTION

No.11034/01/2023-O.L.(Policy): A revised award scheme named '**Rajbhasha Gaurav Puraskar Yojna**' from the year 2025-26 is introduced by the Department of Official Language, with an objective to encourage writing books originally in Hindi and to promote Official Language, in supersession of earlier Resolution No. 11034/01/2023-O.L.(Policy) dated 22.06.2023. Under the scheme, the citizens of India will be awarded in the following categories and subjects:-

(A) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on Engineering, Electronics, Computer Science, Physics, Biology, Energy, Space Science, Medicine, Chemistry, Information Technology, Management, Psychology and contemporary topics like Liberalisation, Globalization, Consumerism, Human Rights, Pollution.

(B) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original books in Hindi on the subjects of Law and Police Research, Forensic Science, Criminology and Police Administration etc.

(C) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on subjects related to Culture, Religion, Arts and Heritage etc.

(D) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original books in Hindi by the author of 'C' region (on the subjects of all the above categories).

(E) Rajbhasha Gaurav Puraskar for books translated in Hindi – For translated books on classics and subjects related to culture, art, heritage.

2. **Name:** The name of the scheme shall be "Rajbhasha Gaurav Puraskar Scheme."

3. **Definitions:** In this scheme, unless the context otherwise requires:-

(i) "**Scheme**" means :- Books originally written in Hindi on the subjects mentioned in categories (a) to (c) above. In addition, "Rajbhasha Gaurav Puraskar Scheme" for nationally/internationally awarded books on subjects like culture, arts, heritage, classic work and translated books of renowned authors, scholars and personalities in Hindi.

(ii) "**Original**" means:- A book originally written in Hindi and published for the first time.

(iii) "**Translated**" means a book translated from Indian languages and English into Hindi or a translated book on classic literature.

(iv) "**Book**" means "published books".

(v) "**Year**" means (a) Scheme year - Financial year (b) Publication year - Calendar Year.

(vi) A writer from Region C means:

(a) The mother tongue of the author should not be Hindi.

(b) The writer must have completed his/her schooling from the respective Region 'C' state. (Region 'C' - All eight North-Eastern states and Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Goa, Jammu & Kashmir, Odisha, Lakshadweep, Pondicherry, and West Bengal.)

(vii) The subject of translation means:-

(a) Hindi translation of books and works of famous authors, scholars and personalities on subjects like culture, arts, heritage, awarded at national/international level.

(10) (b) In this category, translated work of books written in the form of departmental manuals, research papers written for Ph.D., poetry, novel, story, drama biography, sketch, reportage, travelogue, memoir etc. or written as a textbook will not be eligible.

#### 4. Objectives:

(a) In various ministries/departments/offices/undertakings/banks etc of the Central Government, official work is also undertaken on technical subjects. Due to lack of books on subjects like technical, science, judicial science, police, criminology research, police administration, culture, religion, arts, heritage etc and law there is a difficulty in increasing the use of Hindi in official work. In addition, due to being less familiar with or not familiar with the Hindi vocabulary of these subjects, personnel face difficulties in doing official work in Hindi.

(b) A new category is being included to encourage original writing in Hindi by authors of 'C' region.

(c) In addition, translation is an important means of disseminating knowledge and literature in English and Scheduled Indian languages to the Hindi speaking community. In the past years, many good translated books have also been received which could not be included due to not having an award in this category. The vision of Hon'ble Home Minister is to increase coordination between Indian languages and Hindi. Hence, a new category of books translated from English and other Indian languages into Hindi is being included under these awards. Thus, with the objective of promoting original book writing and excellent translated works in Hindi on the above subjects, the Department of Official Language has initiated this scheme.

(d) Only Department of Official Language has been made the nodal department for different award scheme related to Hindi at national level by various Ministries / Departments of Central Government. It shall be mandatory to consult Department of Official Language, Ministry of Home Affairs before launching any other award scheme related to Hindi by any Ministry / Department in future so that repetition of award scheme may be avoided.

#### 5. Details of Awards:

S. No	Name of the Award Scheme	Total no. of awards	Payable Amount, Certificate and Memento
A	Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on Engineering, Electronics, Computer Science, Physics, Biology, Energy, Space Science, Medicine, Chemistry, Information Technology, Management, Psychology and contemporary topics like Liberalisation, Globalization, Consumerism, Human Rights, Pollution	First Prize (One)	₹ 2,00,000/- (Two lakh rupees), a certificate and a memento
		Second Prize (One)	₹ 1,25,000/- (One lakh twenty five thousand rupees), a certificate and a memento
		Third Prize (One)	₹ 75,000/- (Seventy five thousand rupees), a certificate and a memento
		Incentive Award (Three)	₹40,000/- (Rupees Forty Thousand), a incentive Certificate and a memento

B	Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original books in Hindi on the subjects of Law and Police Research, Forensic Science, criminology and police administration etc.	First Prize (One)	₹ 1,50,000/- (One lakh fifty thousand rupees), a certificate and a memento
		Second Prize (One)	₹ 1,00,000/- (One lakh rupees), a certificate and a memento
		Incentive Award (Two)	₹40,000/- (Rupees Forty Thousand), a incentive Certificate and a memento.
C	Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on subjects related to Culture, Religion, Arts and Heritage	First Prize (One)	₹ 1,50,000/- (One lakh fifty thousand rupees), a certificate and a memento
		Second Prize (One)	₹ 1,00,000/- (One lakh rupees), a certificate and a memento
		Incentive Award (Two)	₹40,000/- (Rupees Forty Thousand), a incentive Certificate and a memento
D	Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original books in Hindi by the author of 'C' region (on the subjects of all the above categories).	First Prize (One)	₹1,50,000/- (One lakh fifty thousand rupees), a certificate and a memento
		Second Prize (One)	₹ 1,00,000/- (One lakh rupees), a certificate and a memento
		Incentive Award (Two)	₹40,000/- (Rupees Forty Thousand), a incentive Certificate and a memento
E	Rajbhasha Gaurav Puraskar for books translated in Hindi – For translated books on classics and subjects related to culture, art, heritage.	First Prize (One)	₹1,50,000/- (One lakh fifty thousand rupees), a certificate and a memento
		Second Prize (One)	₹ 1,00,000/- (One lakh rupees), a certificate and a memento
		Incentive Award (Two)	₹40,000/- (Rupees Forty Thousand), a incentive Certificate and a memento

#### 6. Eligibility:

- (i) The author / co-author or translator / co-translator should be a citizen of India.
- (ii) The book should be written / translated on the subject as described in the above table.

#### 7. General Conditions:

- (i) In case of more than one author / translator of the book, each co-author / co-translator must fill the proforma separately.
- (ii) Only books/Translation which are original work of the author / translator are admissible for award under the scheme.
- (iii) Books awarded previously by any government organisation will not become eligible. The author/translator of the book must inform Department of Official Language immediately if the book is awarded under any other award scheme before the declaration of the awards under the above mentioned schemes.
- (iv) Under the scheme, books published during 1st January to 31st December are acceptable.

- (v) The Content of the book should be critical and analytical. Research work for PhD, poetry, novel, story, drama or book written in the form of text book will not be eligible for this award scheme.
- (vi) Conditions related to author of 'C' Region means:  
 (a) The mother tongue of the author should not be Hindi.  
 (b) The writer must have completed his/her schooling from the respective Region 'C' state. (Copy of 10th and 12th class certificate is required as proof). (Region 'C' - all eight North Eastern states, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Goa, Jammu & Kashmir, Odisha, Lakshadweep, Pondicherry, and West Bengal.)
- (vii) Conditions relating to the category of translation means:-  
 (a) This category includes Hindi translation of books and works of famous authors, scholars and personalities on subjects like Culture, Art, Heritage, awarded at national/international level.  
 (b) In this category, translated work of books written in the form of departmental manuals, research papers written for Ph.D., poetry, novel, story, drama biography, sketch, reportage, travelogue, memoir etc. or written as a textbook will not be eligible.  
 (c) Under this category, it will be mandatory for the author to send four copies of the translated book as well as the book in its original language.  
 (d) Initially, books published/translated in the last two years will be invited for entry. Thereafter, translated and published books published one year prior to 2027, i.e., between January 1 and December 31 of the respective calendar year, will be accepted.
- (viii) The author/co-author or translator/co-translator will be responsible for facts and figures given in the book and must give references wherever possible as proof.
- (ix) If a person has received a prize under any scheme of Department of Official Language during the preceding three years, his/her entry shall not be considered. However, a co-author, (if any) can participate in the scheme. The co-author will be given the amount proportionately.
- (x) The books should contain at least 100 pages.
- (xi) If the Evaluation Committee arrives at a conclusion that none of the books, received as entries, is suitable for the award, decision of the committee in this regard will be considered as final.
- (xii) In case the book selected for the award has more than one author the award money will be divided equally among them.
- (xiii) Only books with ISBN will be accepted under the scheme.

#### 8. Procedure for sending the entries:

- (i) The entry should be sent along with the proforma given at Annexure; otherwise the same would not be accepted.
- (ii) Kindly send three copies of the book invariably with each entry. The copies will not be returned.
- (iii) Duly filled entry form should reach by the last date fixed by the department.
- (iv) An author/translator may send only one entry under the scheme.

#### 9. Evaluation procedure of Books:

Books will be evaluated by a committee constituted by Department of Official Language based on the criteria set by Department of Official Language. Joint Secretary, Department of Official Language will be the Chairperson of the committee. If necessary, Committee may include non-official renowned scholars/experts along with official members. The Committee will comprise of the following:-

(i)	Joint Secretary, Department of Official Language	Chairperson
(ii)	Two non-official persons, who will be nominated by the Department of Official Language every year	Member
(iii)	Director/Deputy Director (Implementation) or equivalent officer working in the Department nominated by the Department	Member-Secretary

- (i) Next of kin of the authors/translators, who are sending their entries, will not be included in the Evaluation Committee.
- (ii) An official from the Ministry/Department concerned with the subject may be included in the Evaluation Committee for evaluation of the entries.
- (iii) The Evaluation Committee shall have the right to take advice from specialists/experts of the subject before deciding on a book.
- (iv) The evaluation committee will determine the assessment criteria themselves.
- (v) In the absence of consensus about the award the decision will be made by majority. In case for and against votes are equal on any decision, then the Chairperson shall have the right to vote to arrive at a decision.
- (vi) The official members of the Evaluation Committee will get TA/DA from the source, from where they get their salaries. The non-governmental members will be entitled to travelling allowance and daily allowance as per instructions issued by the Government from time to time and applicable during the period.
- (vii) The experts of the Evaluation Committee will also be entitled to honorarium as determined by the Department of Official Language.
- (viii) The Department of Official Language will take decision on recommendations made by the Evaluation Committee.

**10. Declaration about Prize Winners and Prize Distribution:**

- (i) Decision regarding the award will be intimated through a letter/email to all the awardees and placed on the website of Department of Official Language also.
- (ii) Distribution of the Awards will be held on the date fixed by the Department of Official Language.

**11. General information:**

- (i) Copyright on the award winning book will remain with the Authors/Publishers/Translators.
- (ii) The awardees traveling from outside the designated place for receiving the award will be provided with IInd Class AC or Air fare (economy class) for travelling to and fro, daily allowance as per Government of India rules and accommodation will have to be arranged at their own cost.
- (iii) No correspondence regarding conferment of the award or procedure for selection of a book for the award will be entertained.

**12. Right to relax the scheme:**


Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, relax any provision of this resolution by giving reasons therefor in writing.

\*\*\*\*\*

**ORDER**

IT IS HEREBY ORDERED that a copy of this resolution should be communicated to the all Ministries/Departments, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, NITI Aayog, The Comptroller and Auditor General of India, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Secretariat of all the State Governments and UT Administrations.

It is also ordered that this Resolution be published in the Gazette of India for public information.



(Dr. Nidhi Pandey)

Joint Secretary, Government of India

To,


**Manager,  
Government of India Press  
Minto Road, New Delhi-110002**

No: 11034/01/2023-O.L.(Policy)

New Delhi, Date 09 March, 2026

**Copy forwarded to:-**

- (1) Director (Implementation-2), Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, New Delhi for necessary action in respect of issuing orders etc. for the Scheme as per the revised Resolution.
- (2) Chief Secretaries of all State Governments and Administrators of all Union Territories.
- (3) Secretaries to all Ministries and Departments of Govt. of India.
- (4) President's Secretariat, New Delhi
- (5) Prime Minister office, New Delhi
- (6) Cabinet Secretariat, New Delhi
- (7) NITI Aayog, New Delhi
- (8) Comptroller and Auditor General of India, New Delhi
- (9) Director Accounts (Central Revenue), New Delhi
- (10) Lok Sabha Secretariat, New Delhi
- (11) Rajya Sabha Secretariat, New Delhi
- (12) Parliament Library (15 copies)
- (13) Director, Public Relations (MHA), Press Information Bureau, with a request to issue a press note in respect of the decision of the Government.
- (14) All officers/sections of the Department of Official Language
- (15) Principal Staff Officer to Secretary (OL)
- (16) Additional copies for Department of Official Language (Policy Section)
- (17) Senior Technical Director, NIC, Department of Official Language: For uploading the resolution on the website of the Official Language.



(Dr. Nidhi Pandey)

Joint Secretary, Government of India

2017/18

115

**“Rajbhasha Gaurav Puraskar Scheme to Citizens of India for writing original book in Hindi”**

**PROFORMA**

**Please mark the relevant Award Scheme for which the entry is being sent.**

<b>A</b>	Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on Engineering, Electronics, Computer Science, Physics, Biology, Energy, Space Science, Medicine, Chemistry, Information Technology, Management, Psychology and contemporary topics like Liberalisation, Globalization, Consumerism, Human Rights, Pollution	
<b>B</b>	Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original books in Hindi on the subjects of Law and Police Research, Forensic Science, Criminology and Police Administration etc.	
<b>C</b>	Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on subjects related to Culture, Religion, Arts and Heritage	
<b>D</b>	Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original books in Hindi by the author of 'C' region (on the subjects of all the above categories).	
<b>E</b>	Rajbhasha Gaurav Puraskar for books translated in Hindi – For translated books on classics and subjects related to culture, art, heritage.	

1. Year of the Award Scheme.....
2. Title of the book.....
3. (i) Name of the Author/Co author/translator/co-translator .....
- (ii) Full Address (with Pin code).....
- .....
- .....
- (iii) Telephone No. ....
- (iv) Mobile No. .... E-mail.....
4. (i) Name of the publisher.....
- (ii) Full Address of the publisher.....
- .....
- .....
- (iii) Year of publishing.....
5. Has the original book/translated book been awarded by any Government organization previously? Yes/No.
- If yes, please give full details thereof.....
- .....
- .....
- .....
6. Native language of author (for authors from 'C' region).....

16  
7. Have copies of Class 10th and 12th certificates been enclosed ? Yes / No  
(For authors in 'c' region)

8. I certify that

(i) I..... son/daughter of .....citizen of India.

(ii) I have written / translated the book originally in Hindi.

(iii) The entry of my book into this scheme does not infringe upon the copyright of any other person. I am personally responsible for the figures and facts given in the book

9. I promise to abide by the regulations of the Rjbhasha Gaurav Puraskar Scheme for writing original book.

Place: .....

Date: .....

**Signature of Author/Co-author/translator/co-translator**

Note 1. Strike off whichever is not applicable.

Note 2. In case of author/translator being more than one, each co-author/co-translator shall fill the above proforma separately.

\*\*\*\*\*

दिनांक: 01 मार्च, 2026

संकल्प

सं.11034/01/2023-राजभाषा(नीति): राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा जारी संकल्प सं. 11034/01/2023-राजभाषा(नीति) दिनांक 21.03.2023 का अधिक्रमण करते हुए वर्ष 2025-26 से संशोधित "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" योजना जारी की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अब निम्नलिखित को पुरस्कृत किया जाएगा:

- क. मंत्रालय/विभाग
- ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
- ग. बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट आदि
- घ. राष्ट्रीयकृत बैंक
- ङ. विभागीय हिंदी पत्रिका
- च. नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति)

2. राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, बोर्डों/स्वायत्त निकायों/ट्रस्टों, आदि को पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार शील्ड के रूप में दिए जाएंगे। पुरस्कारों का निर्णय राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर किया जाएगा। पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन से गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर निम्नानुसार पुरस्कार दिए जाएंगे:-

श्रेणी	विवरण	पुरस्कार
मंत्रालय/विभाग	300 से कम कार्मिक 300 से अधिक कार्मिक	03 पुरस्कार (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) 03 पुरस्कार (प्रथम, द्वितीय, तृतीय)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	'क' क्षेत्र 'ख' क्षेत्र 'ग' क्षेत्र	03 शील्ड (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) 03 शील्ड (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) 03 शील्ड (प्रथम, द्वितीय, तृतीय)
बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट आदि	'क' क्षेत्र 'ख' क्षेत्र 'ग' क्षेत्र	02 शील्ड (प्रथम व द्वितीय) 02 शील्ड (प्रथम व द्वितीय) 02 शील्ड (प्रथम व द्वितीय)
राष्ट्रीयकृत बैंक	800 से कम कार्मिक 800 से अधिक कार्मिक	03 पुरस्कार (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) 03 पुरस्कार (प्रथम, द्वितीय, तृतीय)
विभागीय हिंदी पत्रिका	'क' क्षेत्र 'ख' क्षेत्र 'ग' क्षेत्र	02 (प्रथम व द्वितीय) 02 (प्रथम व द्वितीय) 02 (प्रथम व द्वितीय)
नराकास - नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	'क' क्षेत्र 'ख' क्षेत्र 'ग' क्षेत्र	02 शील्ड (प्रथम व द्वितीय) 02 शील्ड (प्रथम व द्वितीय) 02 शील्ड (प्रथम व द्वितीय)

3. (क) राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के लिए प्रदान की जाने वाली शील्डों के लिए मंत्रालय/ विभाग/ उपक्रम/ बोर्ड/ स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट/बैंक आदि के कार्मिकों की संख्या कम से कम 30 होने पर ही पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।

(ख) राजभाषा कीर्ति/ क्षेत्रीय पुरस्कार के लिए 60 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले को पुरस्कार की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा।

4. यदि किसी मंत्रालय/विभाग को लगातार दो वर्षों तक प्रथम पुरस्कार दिया जाता है तो उसे तीसरे वर्ष पुरस्कार न देते हुए अन्य विभाग को अवसर दिया जाएगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

*(Signature)*

(डॉ. निधि पाण्डेय)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक

भारत सरकार, मुद्रणालय

मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002

संख्या: 11034/01/2023-राजभाषा(नीति)

नई दिल्ली, दिनांक 01 मार्च, 2026

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्यान्वयन/तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को संकल्प में संशोधित की गई योजना के अनुसार नई योजना जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए।
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
5. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
6. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
7. नीति आयोग, नई दिल्ली
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
9. लेखा निदेशक (केंद्रीय राजस्व), नई दिल्ली
10. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
11. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
12. संसद का पुस्तकालय (15 प्रतियाँ)
13. निदेशक, जन-संपर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें
14. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग
15. सचिव (राजभाषा विभाग) के प्रधान स्टाफ अधिकारी
16. अतिरिक्त प्रति राजभाषा विभाग (नीति अनुभाग) के लिए
17. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, राजभाषा विभाग: इस संकल्प को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

*(Signature)*

(डॉ. निधि पाण्डेय)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

Date: 09 March, 2026

**RESOLUTION**

No.11034/01/2023OL(Policy): To encourage the implementation of the Official Language Policy the Department has revised the award scheme named "**Rajbhasha Kirti Puraskar**" scheme from the year 2025-26 in supersession of earlier resolution No. 11034/01/2023-OL(Policy) dated 21.03.2023. The following will be rewarded under the scheme:-

- (A) Ministries/Departments
- (B) Public Sector Undertakings
- (C) Boards/Autonomous Bodies/trusts etc.
- (D) Nationalised Banks
- (E) Departmental Hindi Magazines
- (F) TOLIC - Town official language implementation committee

2. As a result of implementation of Official Language Policy in the best manner possible the Ministries, Departments, Public Sector Undertakings, Nationalised Banks, Boards/Autonomous bodies/Trusts etc will be honoured with shields for doing outstanding work in promoting the progressive use of Official Language. For each region, the first, second and third prizes will be given as a shield. The decision of award will be based on quarterly progress reports related to the implementation of the official language policy. The evaluation of awards will be done by a committee formed with the approval of the Secretary, Department of Official Language in which non-governmental members will also be included. The following awards will be conferred at the Hindi Day celebrations:-

Category	Description	Prize
Ministries/Departments	Staff less than 300 Staff more than 300	03 Prize (first, second, third) 03 Prize (first, second, third)
Public Sector Undertakings	'A' Region 'B' Region 'C' Region	03 Shield (first, second, third) 03 Shield (first, second, third) 03 Shield (first, second, third)
Boards/Autonomous Bodies/trusts etc.	'A' Region 'B' Region 'C' Region	02 Shield (first and second) 02 Shield (first and second) 02 Shield (first and second)
Nationalized Banks	Staff less than 800 Staff more than 800	03 prize (first, second, third) 03 prize (first, second, third)
In house Hindi Magazine	'A' Region 'B' Region 'C' Region	02 (first and second) 02 (first and second) 02 (first and second)
TOLIC -Town Official Language Implementation Committee	'A' Region 'B' Region 'C' Region	02 Shield (first and second) 02 Shield (first and second) 02 Shield (first and second)

(9) 3. (a) For consideration under "Rajbhasha Kirti Puraskar", the number of Officials in Ministry/ Department/ PSU/Autonomous Body/Bank etc. should be minimum 30.

(b) Those who score marks less than 60% will not be considered for the awards under Rajbhasha Kirti/Regional Awards.

4. If a Ministry/Department gets first prize consecutively for two years then that Ministry/Department will not be awarded the third time, instead some other Ministry/Department will be given an opportunity.

**ORDER**

IT IS HEREBY ORDERED that a copy of this resolution should be communicated to the Secretariat of all the State Governments, UT Administrations, all Ministries/Departments, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, NITI Aayog, The Comptroller and Auditor General of India, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat.

It is also ordered that this Resolution be published in the Gazette of India for public information.

ebrnos7

(Dr. Nidhi Pandey)  
Joint Secretary, Government of India

To,  
Manager,  
Government of India Press  
Minto Road, New Delhi-110002

No: 11034/01/2023-OL(Policy)

Delhi, Dated: 09 March, 2026

**Copy forwarded to:-**

- (1) Director (Implementation-2) Department of Official Language, MHA, New Delhi for necessary action in respect of issuing orders etc. for the Scheme as per the revised scheme of the Resolution.
- (2) Chief Secretaries of all State Governments and Administrators of all Union Territories.
- (3) Secretaries to all Ministries and Departments of Govt. of India.
- (4) President's Secretariat, New Delhi
- (5) Prime Minister office, New Delhi
- (6) Cabinet Secretariat, New Delhi
- (7) NITI Aayog, New Delhi
- (8) Comptroller and Auditor General of India, New Delhi
- (9) Director Accounts (Central Revenue), New Delhi
- (10) Lok Sabha Secretariat, New Delhi
- (11) Rajya Sabha Secretariat, New Delhi
- (12) Parliament Library (15 copies)
- (13) Director, Public Relations (MHA), Press Information Bureau, with a request to issue a press note in respect of the decision of the Government.
- (14) All officers/sections of the Department of Official Language
- (15) Principal Staff Officer to Secretary (OL)
- (16) Additional copies for Department of Official Language (Policy Section)
- (17) Senior Technical Director, NIC, Department of Official Language: For uploading the Resolution on the website of the Official Language.

ebrnos7

(Dr. Nidhi Pandey)  
Joint Secretary, Government of India